

फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय महमूदाबाद सीतापुर



प्रवेश विवरणिका सत्र 2022 -23

महाविद्यालय स्थापना वर्ष - 1976

संचालित कोर्स –

1. स्नातक (Under Graduation)-

(a) B.A. (NEP) (संचालित विषय Hindi, English, Sanskrit, Urdu, Sociology, Political Science, History, Economics, Physical education, Geography)

(b) B. Com. (NEP)

(c) B.Sc. (PCM and ZBC) [NEP]

2. स्नातकोत्तर (Post Graduation)-

(a) M.A. (Hindi, Sanskrit, Urdu, Sociology, Economics, History, Geography) [CBCS]

(b) M.Com. (CBCS)

संचालित कोर्स के प्रकार – संस्थागत रेगुलर

सम्बद्धता – लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्वीकृत सीटें

स्नातक स्तर -

संकाय	आवंटित सीट
कला संकाय (B.A.)	720
वाणिज्य संकाय (B. Com.)	120
विज्ञान संकाय (जीव विज्ञान) वर्ग (B.Sc. Bio)	120
विज्ञान संकाय (गणित) वर्ग (B.Sc. Maths)	120

स्नातक के प्रवेश सम्बन्धी नियम

- 1- सत्र 2022-23 में प्रथम वर्ष के प्रवेश लखनऊ विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार होंगे।
- 2- प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन होगी | किसी भी दशा में प्रवेश पूर्ण होने से पहले कोई व्यक्तिगत एवं ऑफलाइन पत्राचार स्वीकार नहीं होगा |
- 3- प्रवेश के लिए प्रवेश समिति एवं प्राचार्य द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा |
- 4- प्रवेश केवल मेधा सूची (मेरिट) के आधार पर ही होगा |
- 5- मेरिट सूची में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर प्रवेश निम्न नियम के अनुसार किया जायेगा
 - (i) इंटरमीडिएट में समान अंक होने पर वरीयता उस अभ्यर्थी को दी जाएगी जिसके हाई स्कूल में अधिक अंक होंगे |
 - (ii) इंटरमीडिएट और हाई स्कूल दोनों में समान अंक होने पर उस अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी जिसकी आयु अधिक होगी |
6. जाति एवं आय प्रमाण पत्र सरकारी वेबसाइट से प्रमाणित किये जायेंगे |
7. हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के अंक पत्र सम्बंधित बोर्ड की वेबसाइट से प्रमाणित किये जायेंगे |
8. महाविद्यालय को किसी भी समय प्रवेश नियमों को परिवर्तन एवं संशोधन करने का अधिकार है |
9. यदि कोई अभ्यर्थी असत्य या गलत सूचनाओं के आधार पर प्रवेश पा जाते हैं तो जिस समय भी तथ्य पता चलेगा, उसका प्रवेश प्रारंभ से ही निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसके विरुद्ध IPC की सम्बंधित धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी |

10- ऑनलाइन फार्म भरते समय छात्र/ छात्राए केवल अपना या अपने अभिभावक का मोबाइल नंबर भरे जिससे भविष्य में छात्र से संपर्क किया जा सके | कंप्यूटर केंद्र या साइबर कैफे के व्यक्ति अपना मोबाइल नंबर न भरे यदि वे अपना मोबाइल नंबर भरते हैं तो उन पर कानूनी कार्यवाही / FIR की जाएगी |

11- कोविड महामारी के द्रष्टिगत सरकार के नियमों का पालन करें तथा प्रवेश सम्बन्धी जानकारी के लिए महाविद्यालय की वेबसाइट (www.faagpgc.com) देखते रहे या महाविद्यालय के ईमेल (help.faagpgc@gmail.com) से जानकारी प्राप्त करें | प्रवेश सम्बन्धी किसी भी जानकारी के लिए महाविद्यालय परिसर में भीड़ इकठ्ठा न करें |

12- आरक्षण सम्बन्धी नियम

अ – उर्ध्व आरक्षण

- i - अनुसूचित जाति एवं जनजाति - 21+2 = 23%
- ii - अन्य पिछड़ा वर्ग - 27%
- ii - आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग - 10% (शासन के निर्देशों के आधार पर दिया जायेगा)

ब - क्षैतिज आरक्षण

- i - दिव्यांग- 3%
- ii - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित - 2%
- ii - महाविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र / पुत्रियों - 2%

नोट – यदि आरक्षित सीटों में से कोई सीट पात्र अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी/ खाली रह जाती है तो उसे सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी से भरा जायेगा I

13- अर्हता सम्बन्धी नियम

(i)- B.A. – (a) सामान्य (General)/ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए इंटरमीडिएट में न्यूनतम 40 % अंक तथा अनुसूचित जाति (SC) /अनुसूचित जन जाति (ST) के लिए इंटरमीडिएट में न्यूनतम 33 % अंक |

(b) Choice of Subject- (अ) अभ्यर्थी को प्रवेश के समय तीन विषयों का चयन करना होगा | एक समूह में से केवल एक ही विषय चुना जा सकता है |

(ब) अभ्यर्थी दो से अधिक साहित्यिक विषयों (Hindi, English, Sanskrit, Urdu,) का चयन नहीं कर सकता है।

(स) विषयों के विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ग्रुप

Group	Subject
Group A	Hindi
Group B	English
Group C	Urdu, Sanskrit
Group D	History
Group G	Economics
Group H	Geography, Physical Education
Group I	Political Science
Group J	Sociology

Note - Choice of Subjects in BA (NEP) Four Year Programme for the session

2022-23 The student will have to choose two Major (Major 1 and Major 2) and one minor subjects from groups A, B, C, D, G, H, I, J, (one subject from either of the group) of the table given above with following restrictions (a) the subjects which has been chosen as major subject cannot be chosen as minor subject. साथ ही एक co-curricular तथा एक व्यावसायिक (vocational subject) विषय का चयन भी करना होगा।

(ii) B.Com. – (a) सामान्य (General)/ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए इंटरमीडिएट में न्यूनतम 40 % अंक तथा अनुसूचित जाति (SC) /अनुसूचित जन जाति (ST) के लिए इंटरमीडिएट में न्यूनतम 33 % अंक।

(b) वाणिज्य में इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा अथवा अर्थशास्त्र या गणित में से किसी एक विषय के साथ इंटरमीडिएट।

(c) साथ ही एक co-curricular तथा एक व्यावसायिक (vocational subject) विषय का चयन भी करना होगा।

(iii) B.Sc.Maths group (PCM)- (a) सामान्य (General)/ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए इंटरमीडिएट में न्यूनतम 40 % अंक तथा अनुसूचित जाति (SC) /अनुसूचित जन जाति (ST) के लिए इंटरमीडिएट में न्यूनतम 33 % अंक |

(b) भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित (PCM group) से इंटरमीडिएट |

(c) Choice of Subject (विषय चयन)- भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित में से दो विषय मुख्य विषय (major subject 1 and major subject 2) के रूप में चयन करना होगा तथा शेष एक विषय minor subject के रूप में चयन करना होगा | साथ ही एक co-curricular तथा एक व्यावसायिक (vocational subject) विषय का चयन भी करना होगा |

(iv) B.Sc. Bio Group (ZBC)- (a) सामान्य (General)/ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए इंटरमीडिएट में न्यूनतम 40 % अंक तथा अनुसूचित जाति (SC) /अनुसूचित जन जाति (ST) के लिए इंटरमीडिएट में न्यूनतम 33 % अंक |

(b) रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान (Bio group) से इंटरमीडिएट |

(c) Choice of Subject (विषय चयन)- जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान में से दो विषय मुख्य विषय (major subject 1 and major subject 2) के रूप में चयन करना होगा तथा शेष एक विषय minor subject के रूप में चयन करना होगा | साथ ही एक co-curricular तथा एक व्यावसायिक (vocational subject) विषय का चयन भी करना होगा |

नोट-

(i)- बी० एससी० पाठ्यक्रम के लिए व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अभ्यर्थी अर्ह (पात्र) नहीं होंगे |

(ii)- बी० कॉम० पाठ्यक्रम के लिए व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं लेकिन उनके पास इंटरमीडिएट में एक विषय के रूप में वाणिज्य (Commerce) या अर्थशास्त्र (Economics) किन्तु उनकी मेधा सूची अलग से जारी होगी एवं सीट की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश मिलेगा |

14 - भारांक सम्बन्धी नियम

स्नातक स्तर की प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु

i - खेल - कूद/क्रीडा

राष्ट्रीय/ प्रदेश स्तर में प्रतिभाग - 2%

ii - एन० सी०सी०

बी प्रमाण पत्र - 2%

सी प्रमाण पत्र - 3%

iii – स्काउट गाइड

महामहिम राष्ट्रपति / राज्यपाल – 3%

तृतीय सोपान - 2 %

iv - एन० एस० एस०

दो शिविर - 3%

एक शिविर - 2 %

v - रोवर्स/रेंजर्स (केवल स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु)

महामहिम राष्ट्रपति/राज्यपाल – 3%

निपुण - 2%

नोट-

(अ)- श्रेणी i, ii, iii, iv और v को मिलाकर कुल भारांक 5% से अधिक देय नहीं होगा ।

(ब) भारांक का लाभ न्यूनतम अहर्यता पूरी होने पर ही मान्य होगा /दिय होगा ।

15. गैप (अंतराल) सम्बन्धी नियम

केवल 2 वर्ष का गैप (अन्तराल) स्वीकृत किया जायेगा लेकिन प्रत्येक वर्ष के गैप के लिए 1% अंक घटा कर मेरिट बनायीं जाएगी तथा गैप हेतु शपथ पत्र भी देना होगा ।

16. प्रपत्र अपलोड करने के सम्बन्ध में नियम

निम्न प्रपत्र अपलोड करें

i - नवीनतम फोटो एवं हस्ताक्षर

ii- हाईस्कूल अंक पत्र

ii- इंटरमीडिएट अंक पत्र

iv- गैप हेतु शपथ पत्र

v- जाति प्रमाण पत्र / EWS प्रमाण पत्र

vi- भारांक सम्बन्धी प्रमाण पत्र

vii- दिव्यांगता / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित सम्बन्धी प्रमाण पत्र

17. शुल्क सम्बन्धी नियम

i. आवेदन शुल्क Rs. 150/-

ii. महाविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क की तालिका महाविद्यालय की वेबसाइट पर अलग से दी गयी है ।

iii. निर्धारित शुल्क केवल ऑनलाइन ही काउंसलिंग के पश्चात् जमा करना होगा ।

iv. जमा किये गए शुल्क की प्रतियाँ स्वयं के पास सुरक्षित रखना अनिवार्य है तथा जमा किया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा ।

18. प्रवेश सम्बन्धी प्रपत्र जमा करने के नियम

फीस जमा करने के पश्चात् समस्त प्रवेशित छात्र/छात्राएँ निम्न प्रपत्र दिए गए क्रम में स्वहस्ताक्षरित कर महाविद्यालय के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करें अन्यथा कि स्थिति में प्रवेश मान्य नहीं होगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी ।

i- आवेदन फॉर्म की प्रति

ii- आधार कार्ड की प्रति

iii- हाईस्कूल के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की प्रति

iv- इंटरमीडिएट के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की प्रति

v- आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र

vi- भारांक सम्बन्धी प्रमाण पत्र

vii- गैप इयर सम्बन्धी शपथ पत्र

viii- अंतिम संस्था द्वारा निर्गत स्थानांतरण / माइग्रेशन प्रमाण पत्र की मूल प्रति

ix- अंतिम संस्था द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्रकी मूल प्रति

19. अनुशासन सम्बन्धी नियम

i- ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी पाये गए हों ।

ii. समस्त प्रवेशित छात्र /छात्राएँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर दिए गए अनुशासन सम्बन्धी स्वयं का घोषणा पत्र महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा ।

iii. महाविद्यालय में प्रवेशित समस्त छात्र/ छात्राओं को निर्धारित गणवेश में ही आना होगा तथा गणवेश सम्बन्धी अवहेलना अनुशासन नियमों के अंतर्गत मानी जाएगी ।

20. गणवेश सम्बन्धी नियम

छात्र -

पैंट - काली, शर्ट- ग्रे (स्लेटी रंग), जूता- काला

छात्राएं -

कमीज (कुर्ती)- ग्रे (स्लेटी रंग), सलवार - सफ़ेद, दुपट्टा- सफ़ेद, जूता- काला ।